



कार्यालय मुख्य आयुक्त  
Office of the Chief Commissioner  
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर  
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur

सेवा में,

अपर/संयुक्त आयुक्त (का. एवं सत),  
केंद्रीय जीएसटी एवं के.उ.शु. आयुक्तालय,  
उदयपुर/ अंकेक्षण- जोधपुर/अंकेक्षण- जयपुर/ ।

उप/सहायक निदेशक,  
डीजीजीआई, जयपुर जोनल यूनिट।

महोदय,

विषय:- सीधी भर्ती कर सहायकों के स्थायीकरण हेतु वर्ष 2025-26 के लिए माह, फरवरी-2026 में आयोजित की जाने वाली विभागीय परीक्षा के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नासिन, वड़ोदरा द्वारा दिनांक 04.02.2026 से 06.02.2026 तक सीधी भर्ती कर सहायक के स्थायीकरण हेतु विभागीय परीक्षा (Departmental Examination for Confirmation of Direct Recruit Tax Assistants) आयोजित की जा रही है, जो कि नव केंद्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, जयपुर में ली जानी है उपरोक्त परीक्षा की समय सारिणी, परीक्षा से सम्बंधित दिशा-निर्देश तथा परीक्षा में बैठने वाले कर सहायकों की सूची संलग्न है।

2. अतः आपसे आग्रह है कि आपके अधीन कार्यरत कर सहायकों को उक्त विभागीय परीक्षा में उपस्थित होने हेतु आवश्यक रूप से निर्देशित करें।

3. विभागीय परीक्षा (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क) नियम, 2024 के पैरा 8 (छूट) के टिप्पण (4), (5) व (6) के अनुसार उपरोक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाला यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के प्रश्न पत्र संख्या-VI (हिन्दी) में उपस्थित होने से छूट चाहता है, तो उनका 'प्रधान आयुक्त, मुख्य आयुक्त कार्यालय, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर, जयपुर जोन, जयपुर को सम्बोधित प्रार्थना पत्र उनकी

जिस परीक्षा के आधार पर वे छूट चाहते हैं उस परीक्षा की अंकतालिका / प्रमाण पत्र मय की स्वयं प्रमाणित प्रति के साथ इस कार्यालय को अग्रेषित किया जाना चाहिये।

भवदीया,

संलग्न – उपरोक्तानुसार

(अनुपमा सक्सेना)  
सहायक आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. प्रशासनिक अधिकारी (मु.), केन्द्रीय जीएसटी एवं के.उ.शु. आयुक्तालय, जयपुर को उक्त परीक्षा से संबंधित एवं पेपर-III के लिए 4 कंप्यूटर एवं प्रिंटर की आवश्यक व्यवस्था के प्रबन्ध हेतु।
2. वेबमास्टर, केन्द्रीय जीएसटी एवं के.उ.शु. आयुक्तालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. निजी प्रति (नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से) / गार्ड फाईल/ नोटिस बोर्ड।



**कार्यालय मुख्य आयुक्त**  
**Office of the Chief Commissioner**  
**सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर**  
**CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur**

**LIST OF ELIGIBLE CANDIDATES FOR DEPARTMENTAL EXAMINATION FOR  
 CONFIRMATION OF DIRECT RECRUIT TAX ASSISTANTS FOR THE  
 YEAR 2025-26 TO BE HELD FROM 04.02.2026 to 06.02.2026  
 AT NEW CENTRAL REVENUE BUILDING, JAIPUR**

\*\*\*\*\*

**Y** : INDICATE THE CANDIDATE IS REQUIRED TO APPEAR IN THE PAPER

Sr. No.	Name of Officer Sh./Shri/Ms.	Roll No.	Commissionerate where posted at present	List of Papers in which to Appear					
				I	II	III	IV	V	VI
1	ANKIT YADAV	TA/GST/ JAIP/01	CGST Audit Jodhpur	-	-	-	-	-	Y
2	MANOJ CHOUDHARY	TA/GST/ JAIP/02	CGST Audit Jaipur	Y	Y	Y	Y	Y	-
3	VIVEK CHOUDHARY	TA/GST/ JAIP/03	CCO (on loan to DGGI Jaipur)	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4	ANANYA CHOUDHARY	TA/GST/ JAIP/04	CGST Udaipur	Y	Y	Y	Y	Y	-

नोट:- सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिये जाते हैं कि परीक्षा समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल पर उपस्थित हों।

**EXAMINATION SCHEDULE**

S. No.	Date	Paper No.	PAPER	TIME
1	04.02.2026	I	Customs Law and Procedures (With Books)	10:00 to 13:00
2	04.02.2026	II	Goods & Services Tax Law and Procedures (with Books.)	14:00 to 17:00
3	05.02.2026	III	Computer Application and use of Internet (Theory)	10:00 to 11:30
			Computer Application and use of Internet (Practical)	12:00 to 13:30
4	05.02.2026	IV	Administration (With book except for Conduct Rules)	14:00 to 17:00
5	06.02.2026	V	Economic and Commercial Geography and General Knowledge (Without Books)	10:00 to 13:00

New Central Revenue Building, Statue Circle, C-Scheme, Jaipur – 302005 (Raj.)

Phone: 0141-2385155; Fax: 0141-2385130, E-Mail: [ccu-cexjpr@nic.in](mailto:ccu-cexjpr@nic.in),

Website: [www.cgstjaipur.gov.in](http://www.cgstjaipur.gov.in), Twitter Handle : @CGSTJAIPURZONE

6	06.02.2026	VI	Hindi	14:00 to 17:00
---	------------	----	-------	----------------

**Note:** For the detailed syllabus, please refer to the Departmental Examination (Central Tax, Central Excise, Customs, and Narcotics) Rules, 2024, dated 18.12.2024 (pages 81-84).